

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](#) से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 29, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, संजय सैनी पिता ईश्वर दत्त सैनी, निवासी—137, थाना केंट, सदर बाजार, सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संजय सैनी (Sanjay Seni) दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम संजय सैनी (Sanjay Saini) दर्ज है। जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम संजय सैनी (Sanjay Saini) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(संजय सैनी)
(Sanjay Seni)

नया नाम
(संजय सैनी)
(Sanjay Saini)
पिता—ईश्वर दत्त सैनी।

(G-2726)

नाम परिवर्तन

मैं, मालती देवी राठौर पति नन्हे भाई राठौर, निवासी—कर्पुर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.). मेरे पति नन्हे भाई राठौर के सर्विस रिकार्ड एवं मतदाता परिचय—पत्र में मेरा नाम मालती देवी राठौर (Malti Devi Rathore) दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम मालती राठौर (Malti Rathore) दर्ज है। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मालती देवी राठौर (Malti Devi Rathore) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(मालती राठौर)
(Malti Rathore)

नया नाम
(मालती देवी राठौर)
(Malti Devi Rathore)
पति—नन्हे भाई राठौर।

(G-2727)

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that I, MOHD. FAIYAZ USMANI'S, Adhar card & Voter card has MOHD. FAIYAZ USMANI written in it Whereas the correct name is MOHAMMED FAIYAZ USMANI Both the names belong to the me which should be read and written form now onwards.

Old Name

(MOHD. FAIYAZ USMANI)

(G-2728)

New Name

(MOHAMMED FAIYAZ USMANI)

S/o Ismail Khan Usmani.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, केलाशी बाई पत्नी श्री मांगीलाल, निवासी—69, ग्राम छतरपुरा, पोस्ट—छतरपुरा, तह. सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रिटिवश मेरा नाम रनजीत कौर अरोरा दर्ज है जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड में मेरा नाम केलाशी बाई दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम केलाशी बाई पत्नी श्री मांगीलाल के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(रनजीत कौर अरोरा)

नया नाम
(केलाशी बाई)
पत्नी—श्री मांगीलाल.

(G-2729)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मनीष कुमार अहिरवार है. जबकि मेरा वास्तविक नाम मनीष कुमार सिंह पिता श्री नाथूराम सिंह है. मैं, अपना नाम अपने समस्त दस्तावेजों में पूर्व नाम मनीष कुमार अहिरवार के स्थान पर मनीष कुमार सिंह पिता श्री नाथूराम सिंह दर्ज करवाना चाहता हूँ तथा मुझे मेरे वास्तविक नाम मनीष कुमार सिंह पिता श्री नाथूराम सिंह से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा जावे.

पुराना नाम
(मनीष कुमार अहिरवार)

नया नाम
(मनीष कुमार सिंह)

पता—5/3, टाईप भद्रभदा रोड, सुपर मार्केट के पास
ऑफिसर लाईन 23, बटालियन, एस. ए एफ.—व्ही टी सी.
हुजूर, पी. ओ. सी. टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2730)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रईस एहमद खान पिता सईद एहमद खान, निवासी—01, चम्बल मार्ग, मैन रोड, नागदा जं., जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्रियों के जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड एवं अंकसूचियों में पिता का नाम रईस खान अंकित है. जो मेरा पूर्व नाम था, वर्तमान में मेरा नाम रईस एहमद खान है और भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना जाऊंगा. अतः इस सूचना प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्रियों के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रईस एहमद खान दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रईस एहमद खान)
(RAEES KHAN)

(G-2731)

नया नाम
(रईस एहमद खान)
(RAEES AHMED KHAN)
पिता—सईद एहमद खान
(SAYED AHMED KHAN).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उपनाम “गुर्जर/GURJAR” लिख दिया था। जिसके आधार पर ही सर्विस रोल में मेरा उपनाम “GURJAR” दर्ज है। जबकि मेरा सही उपनाम “गुजर/GUJAR” है। प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य में उपनाम “गुजर/GUJAR” से जाना जाये/पहचाना जाये।

(G-2732)

प्रार्थी
(रमेश कुमार गुजर).
कावा स. उ. नि.
थाना छीपाबड़, जिला हरदा (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Bharat Kumar Mistry S/o Narshi Bhai Mistry, R/o 11-D, Sector-C, Scheme No. 71, ShreeJi Vatika Ke Piche, Indore (M.P.), changed my surname to Mistry to Bhardwa for all purposes whatsoever.

(G-2733)

Applicant:
(Bharat Kumar Mistry).

नाम परिवर्तन

मेरे आधारकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम Nirmala Ohare है। जबकि मेरा सही नाम Nirmala Ohare है जो कि मेरे निर्वाचन पहचान—पत्र में लेखबद्ध है। प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड में मेरा नाम Nirmala के स्थान पर सही नाम Nirmala Ohare लेखबद्ध की जाये।

पुराना नाम

(NIRMLA OHARE)

नया नाम

(NIRMALA OHARE)

(G-2734)

नाम परिवर्तन

मैं, जयश्री चौधरी (Jayshree Chaudhary) पत्नी ओंकार प्रसाद चौधरी, निवासी—डी. के. 1/21, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम मोहिनी (Mohini) था। जिसे बदलकर मैं, अपना नाम जयश्री चौधरी (Jayshree Chaudhary) करना चाहती हूँ। जो कि मेरे शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम जयश्री चौधरी (Jayshree Chaudhary) पत्नी ओंकार प्रसाद चौधरी के नाम से जाना—पहचाना लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(मोहिनी)

(Mohini)

नया नाम

(जयश्री चौधरी)

(Jayshree Chaudhary)

पत्नी—ओंकार प्रसाद चौधरी।

(G-2735)

नाम परिवर्तन

मैं, साधना पत्नी श्री नरेश सिंह कुशवाह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम साधना है। जो शैक्षणिक दस्तावेजों एवं कुछ अन्य दस्तावेजों में अंकित है। मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम आरती अंकित है। आरती तथा साधना दोनों मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत दस्तावेजों में मेरा नाम आरती के स्थान पर साधना अंकित किया जावे।

पुराना नाम

(आरती)

नया नाम

(साधना)

पत्नी—श्री नरेश सिंह,

ग्राम—मानपुरा, भिंड (म.प्र.).

(G-2736)

नाम परिवर्तन

मैं, नीलम बरखने पति श्री राकेश कुमार, निवासी—मकान नं. 200 वार्ड नं. 11, हरिजन मोहल्ला, सनखेड़ा, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम निलम बरखने पति राकेश कुमार बरखने दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम नीलम बरखने पति श्री राकेश कुमार बरखने है. जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम नीलम बरखने पति श्री राकेश कुमार बरखने के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

| | |
|----------------------------|--|
| पुराना नाम (निलम बरखने) | नया नाम (नीलम बरखने) पति—श्री राकेश कुमार बरखने. |
|----------------------------|--|

(G-2737)

नाम परिवर्तन

मैं, परीक्षत पाल सिंह कुशवाह (Parikshat Pal Singh Kushwah) पिता—श्री रामपाल सिंह कुशवाह, निवासी—308, राजबाड़ा विपेज मक्सूदनगढ़, गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम परीक्षत पाल सिंह (Parikshat Pal Singh) दर्ज है जो कि गलत है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी मेरा नाम परीक्षत पाल सिंह कुशवाह (Parikshat Pal Singh Kushwah) दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम परीक्षत पाल सिंह कुशवाह (Parikshat Pal Singh Kushwah) पिता श्री रामपाल सिंह कुशवाह के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

| | |
|---|--|
| पुराना नाम (परीक्षत पाल सिंह) (PARIKSHAT PAL SINGH) | नया नाम (परीक्षत पाल सिंह कुशवाह) (PARIKSHAT PAL SINGH KUSHWAH) पिता—श्री रामपाल सिंह कुशवाह. |
|---|--|

(G-2738)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि मेरा उपनाम सुमित दोहोलिया (SUMIT DOHOLIYA) आत्मज स्व. श्री अनिल शर्मा था. जिस कारण आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सुमित दोहोलिया (SUMIT DOHOLIYA) दर्ज हो गया है, लेकिन अब मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम सुमित शर्मा (SUMIT SHARMA) कराना चाहता हूं. भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

| | |
|--|--|
| पुराना नाम (सुमित दोहोलिया) (SUMIT DOHOLIYA) | नया नाम (सुमित शर्मा) (SUMIT SHARMA) आत्मज— स्व. श्री अनिल शर्मा. |
|--|--|

(G-2739)

नाम परिवर्तन

मैं, Brijbala Sharma (बृजबाला शर्मा) W/o Govind Sharma, निवासी—मकान नं. 174, ग्राम किशनगंज, तहसील महू जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मधुबाला शर्मा दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम बृजबाला शर्मा है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम Brijbala Sharma (बृजबाला शर्मा) W/o Govind Sharma, के नाम से जाना व पहचाना जावे.

| | |
|-------------------------------|---|
| पुराना नाम (मधुबाला शर्मा) | नया नाम (बृजबाला शर्मा) (Brijbala Sharma) W/o Govind Sharma. |
|-------------------------------|---|

(G-2740)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नीलू नगाइच पति विक्रांत नगाइच, निवासी—म. नं. 588 / 1, जबलपुर (म.प्र.). कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. नीलेश उपाध्याय पिता का नाम राममोहन उपाध्याय था। चूँकि विवाह होने के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती नीलू नगाइच पति विक्रांत नगाइच हो गया है। प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेज में श्रीमती नीलू नगाइच पति विक्रांत नगाइच लिखा—पढ़ा दर्ज किया जाए।

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| पुराना नाम (नीलेश उपाध्याय) | नया नाम (नीलू नगाइच) |
|--------------------------------|-------------------------|

(G-2741)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा उपनाम ईशान दोहोलिया (ESHAN DOHOLIYA) आत्मज स्व. श्री अनिल शर्मा था। जिस कारण मेरा आधार कार्ड, शैक्षणिक एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम ईशान दोहोलिया (ESHAN DOHOLIYA) दर्ज हो गया है। लेकिन अब मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम ईशान शर्मा (ESHAN SHARMA) कराना चाहता हूँ। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

| | |
|---|---|
| पुराना नाम (ईशान दोहोलिया) (ESHAN DOHOLIYA) | नया नाम (ईशान शर्मा) (ESHAN SHARMA) |
|---|---|

(G-2742)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम ज्योति पिता वासुदेव एवं आधार कार्ड में मेरा नाम कोमल वाधवानी उर्फ ज्योति दादलानी पति सुनील वाधवानी दर्ज है लेकिन वर्तमान में मुझे ज्योति पति सुनील कुमार दादलानी नाम से पहचाना एवं पुकारा जाता है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नए परिवर्तित नाम ज्योति दादलानी (Jyoti Dadlani) से जाने—पहचाने व पुकारें।

| | |
|------------------------|---------------------|
| पुराना नाम (ज्योति) | नया नाम (ज्योति) |
|------------------------|---------------------|

पिता—वासुदेव एवं कोमल वाधवानी उर्फ
ज्योति दादलानी

पति—सुनील कुमार दादलानी,
पता—133 बी, संतराम सिंधी कॉलोनी,
उज्जैन, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)

(G-2743)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमेर सिंह पिता श्री भंवर जी, आयु व्यस्क, निवासी—81, लसूडिया ६ आकड़, वीटीसी मुर्सकरा, पोस्ट—अमलाहा, आष्टा, जिला सीहोर मध्यप्रदेश। पूर्व में कुमेर सिंह पिता—श्री भंवर जी के नाम से जाना जाता था। प्रकाशन उपरांत मुझे अब कुमेर सिंह बकोरिया पिता श्री भंवर जी के नाम से ही जाना जावे।

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| पुराना नाम (कुमेर सिंह) | नया नाम (कुमेर सिंह बकोरिया) |
|----------------------------|---------------------------------|

(G-2744)

CHANGE OF NAME

It is hereby noticed to public at large, my name has been written as Ranvir (रनवीर) in Army ID Card & PPO documents etc. But my actual full and correct name is Ranvir Singh. My name written as Ranvir Singh (रनवीर सिंह) in all the Government and Semi-Government documents etc. in future, I may recognized/known as my correct name "Ranvir Singh". And my name as Ranvir Singh (रनवीर सिंह) may read & understood in PPO record and all others documents too. Ranvir and Ranvir Singh both are the same person.

| | |
|---|---|
| <p>Old Name (RANVIR) (रनवीर)</p> <p>(G-2745)</p> | <p>New Name (RANVIR SINGH) (रनवीर सिंह) S/o Shri Keder Singh, Address-Tanki Marg, Near of Tanki, Shivaji Nagar, Amkho, Lashkar Gwalior (M.P.).</p> |
| नाम परिवर्तन | |

मैं, सुधा लोधी पुत्री नरेंदर कुमार, निवासी—ग्राम मउ, पोस्ट भदरोली, ग्वालियर, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व में नाम संगीता पुत्री नरेंदर कुमार मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में लिखा हुआ है। मुझे सुधा लोधी पुत्री नरेंदर कुमार के नाम से जाना जाता है। संगीता व सुधा लोधी मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड में सुधा लोधी पुत्री नरेंदर कुमार किया जाये व प्रकाशन उपरांत संगीता पुत्री नरेंदर कुमार के स्थान पर सुधा लोधी पुत्री नरेंदर कुमार पढ़ा—लिखा जावे।

| | |
|---|--|
| <p>पुराना नाम (संगीता)</p> <p>(G-2746)</p> | <p>नया नाम (सुधा लोधी) पुत्री—नरेंदर कुमार।</p> |
| नाम परिवर्तन | |

मैं, भूमि सोनी पुत्री रामकुमार सोनी, निवासी—कल्याण चौराहा, नौगांव, छतरपुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम नीरज सोनी दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम भूमि सोनी (BHOOMI SONI) पुत्री रामकुमार सोनी (RAMKUMAR SONI) है। जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम भूमि सोनी (BHOOMI SONI) पुत्री रामकुमार सोनी (RAMKUMAR SONI) से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

| | |
|---------------------|--|
| <p>(G-2747)</p> | <p>प्रार्थिनी, (भूमि सोनी) (BHOOMI SONI) पुत्री—रामकुमार सोनी, (RAMKUMAR SONI).</p> |
| नाम परिवर्तन | |

मैं, कौशवेन्द्र पुत्र—अतिवीर सिंह, निवासी—नारायण विहार कॉलोनी, गोले का मंदिर ग्वालियर, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व में नाम जोगेन्द्र सिंह पुत्र अतिवीर सिंह मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में लिखा हुआ है। जबकि मुझे कौशवेन्द्र पुत्र अतिवीर सिंह के नाम से जाना जाता है। कौशवेन्द्र व जोगेन्द्र सिंह मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे कौशवेन्द्र पुत्र अतिवीर सिंह लिखा एवं दर्ज किया जावे।

| | |
|---|---|
| <p>पुराना नाम (जोगेन्द्र सिंह)</p> <p>(G-2748)</p> | <p>नया नाम (कौशवेन्द्र) पुत्र—अतिवीर सिंह।</p> |
| नाम परिवर्तन | |

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वल्लभा डेवलपर्स फर्म, जिसका पता—5, वल्लभ बिहार कॉलोनी सहस्राधारा मार्ग, महेश्वर, खरगोन है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03-30-06-0047-23, दिनांक 27-4-2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री नटवरलाल सराफ पिता श्री नवनीत लाल सराफ, 2. श्री शुभम सराफ पिता श्री नटवरलाल सराफ, 3. श्री गोपाल महाजन पिता श्री जगदीशचंद्र महाजन थे. तत्पश्चात् दिनांक 31-5-2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्रीमती सुरभि सराफ पति श्री गौरव सराफ, 2. श्रीमती निमिषा सराफ पति श्री अंकित सराफ, 3. श्री अनीष गुप्ता पिता श्री मोहनलाल गुप्ता भागीदारी फर्म मेसर्स वल्लभा डेवलपर्स में समिलित हो गये हैं.

मेसर्स वल्लभा डेवलपर्स,

1. नटवरलाल सराफ, 2. शुभम सराफ,
3. गोपाल महाजन, 4. सुरभि सराफ,
5. निमिषा सराफ, 6. अनीष गुप्ता

(भागीदार).

(G-2749)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स ब्रज वसुंधरा डेवलपर फर्म जिसका पता—अविका कलेक्शन, जयस्तम्भ चौक, धामनोद रोड, महेश्वर, जिला खरगोन है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03-30-06-0010-23, दिनांक 5-4-2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री गौरव सराफ पिता श्री जमनादास सराफ, 2. श्री वल्लभ सराफ पिता श्री नवनितदास सराफ, 3. श्री दर्शन जैन पिता श्री प्रवीण जैन, 4. श्री शुभम सराफ पिता श्री नटवर लाल सराफ, 5. श्री गोपाल महाजन पिता श्री जगदीशचंद्र महाजन थे. तत्पश्चात् दिनांक 21-9-2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री दर्शन जैन पिता श्री प्रवीण जैन भागीदारी फर्म मेसर्स ब्रज वसुंधरा डेवलपर से पृथक हो गये हैं. प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स ब्रज वसुंधरा डेवलपर से अपना पूर्ण हिसाब—किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना—देना शेष नहीं है.

मेसर्स ब्रज वसुंधरा डेवलपर,

1. गौरव सराफ, 2. वल्लभ सराफ,
3. शुभम सराफ, 4. गोपाल महाजन,

(भागीदार).

(G-2750)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है. कि मेसर्स—एएसआर इंटरप्राइजेज, भवन क्र. 50 वार्ड न. 32, पैराडाइस कॉलोनी, पन्ना मार्ग, छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06-12-01-0136-18 पंजीयन दिनांक 25-1-2018 को गठित होकर पंजीयत हुई और संशोधित दिनांक 3-11-2022 को जिसमें अश्वनी कुमार द्विवेदी, सविता द्विवेदी, संदीप दीक्षित, भागीदार थे और दिनांक 10-1-2024 को संदीप दीक्षित ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 10-1-2024 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं अश्वनी कुमार द्विवेदी एवं सविता द्विवेदी.

M/s. ASR ENTERPRISES,

(अश्वनी कुमार द्विवेदी)

(भागीदार).

(G-2751)

CHANGE OF NAME

I, NILESH S/o VIKRAM SINGH RATHORE hereby declare that I have changed my name as NILESH RATHORE S/o VIKRAM SINGH RATHORE so from now and in future I will be known by my new name. NILESH RATHORE S/o VIKRAM SINGH RATHORE.

Old Name

(NILESH)

New Name

(NILESH RATHORE)

Address-41, GHATIYA GAYA SUR,
POST. BARKHEDAPURVAIYA,
DIST. DEWAS (M.P.).

(G-2752)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सरिता मार्बल्स जो कि दिनांक 17-12-2003 को दो भागीदारों (1) श्री नरेन्द्र जायसवाल वल्ड श्री बराती लाल जायसवाल, (2) श्रीमती सरिता जायसवाल पत्नी श्री नरेन्द्र जायसवाल, निवासी 104, नेपियर टाउन, जबलपुर में पंजीयकृत है. जिसका पंजीयन क्रमांक ज. स. 122 / 2003-04 है. दिनांक 1-10-2013 से उक्त फर्म में दो ओर भागीदारों (3) श्री गिरधारी लाल गौड़ वल्ड श्री जेठमल गौड़, (4) श्रीमती दीपा गौड़ पत्नी श्री गिरधारी लाल गौड़, पता-ए-44, न्यू ए सी सी कॉलोनी, माधव नगर रोड, कटनी (म.प्र.) को सम्मिलित होने की सूचना एवं साथ ही फर्म का रजिस्टर्ड पता भी परिवर्तित होकर ए-44, न्यू ए सी सी कॉलोनी, माधव नगर रोड, कटनी (म.प्र.) हो गया है, का प्रकाशन अखबार में किया गया था. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी जबलपुर कार्यालय में दिनांक 19-11-2013 को आवेदन नियमानुसार सह पत्रों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दिया गया था. अब दिनांक 1-4-2024 से फर्म मेसर्स सरिता मार्बल्स की भागीदारी से भागीदार (1) श्रीमती सरिता जायसवाल पत्नी श्री नरेन्द्र जायसवाल, निवासी-04, नेपियर टाउन, जबलपुर, (2) श्री गिरधारी लाल गौड़ वल्ड श्री जेठमल गौड़, (3) श्रीमती दीपा गौड़ पत्नी श्री गिरधारी गौड़, पता ए-44, न्यू ए सी सी कॉलोनी, माधव नगर रोड, कटनी (म.प्र.). अलग हो गये हैं. अब भागीदारी में आदित्य गौड़ वल्ड श्री गिरधारी लाल गौड़, पता-77, गौड़ विला, वसुन्धरा नगर, मकराना, नागौर (राजस्थान) भागीदारी में शामिल हो गये हैं. साथ ही फर्म का पंजीयकृत, पता ए-44, न्यू ए सी सी कॉलोनी, माधव नगर रोड, कटनी (म.प्र.) हो गया है.

For -SARITA MARBLES,

(नरेन्द्र जायसवाल)

(भागीदार).

(G-2753)

नाम परिवर्तन

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम BARKHA JAMNANI पत्नी MANOJ JAMNANI है. जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि में दर्ज है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम KIRTI VADHWANI दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है, मेरे अन्य शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम (KIRTI WADHWANI) दर्ज है जो कि सही है, मैं अपना नाम BARKHA JAMNANI से बदलकर KIRTI WADHWANI रख रही हूं उक्त दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं, मेरे आधार कार्ड में व अन्य सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरा नाम KIRTI WADHWANI के नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा लिखा जावे.

पुराना नाम

(BARKHA JAMNANI)

(G-2754)

नया नाम

(KIRTI WADHWANI)

पत्नी—MANOJ JAMNANI,
पता—भाऊ का बाजार, महेश चक्की के पास,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मयंक सक्सेना आत्मज श्री संतोष कुमार सक्सेना, निवासी—ए—न्यू 14 / 139, बैरागढ़, हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम मानस सक्सेना दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र प्रताप सक्सेना है, मेरा पुत्र वर्तमान में रुद्र प्रताप सक्सेना, नाम से जाना पहचाना जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

(G-2755)

भवदीय

(मयंक सक्सेना).

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल परमार आत्मज श्री कुंजीलाल, निवासी—ढबला, बिलकिसगंज, आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम सन्तोष (SANTOSH) दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम प्रिंस परमार (PRINCE PARMAR) है, यह कि मेरा पुत्र वर्तमान में प्रिंस परमार (PRINCE PARMAR) नाम से जाना-पहचाना जाता है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

(G-2756)

भवदीय

(राहुल परमार).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश सिंह कुशवाहा (Mukesh Singh Kushwaha) पुत्र—श्री गनोर सिंह कुशवाहा, मेरा पुत्र शुभांशु कुशवाहा (Shubhanshu Kushwaha) है. जिसके आधार कार्ड में उसका नाम मासूम कुमार (Masum Kumar) पुत्र श्री मुकेश कुमार सिंह (Mukesh Kumar Singh) अंकित है. किंतु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम शुभांशु कुशवाहा (Shubhanshu Kushwaha) पुत्र श्री मुकेश सिंह कुशवाहा (Mukesh Singh Kushwaha) है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को शुभांशु कुशवाहा (Shubhanshu Kushwaha) पुत्र श्री मुकेश सिंह कुशवाहा (Mukesh Singh Kushwaha) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक
(मुकेश सिंह कुशवाहा)
(Mukesh Singh Kushwaha)
पता—155, शिरडी पुरम, कोलार रोड,
तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-2757)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गयास मोहम्मद (Ghayas Mohd) आत्मज स्व. श्री मोहम्मद शफीक (Mohd Shafeequ), आयु—व्यस्क, निवासी—329, आचार्य नरेन्द्र देव नगर, फातमी मस्जिद के पास, बिहारी मोहल्ला गोविंदपुरा, वार्ड नं. 44, तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गयास मोहम्मद (Gayas Salmani) पुत्र श्री शफीक सलमानी (Shafiq Salmani) अंकित है. किंतु मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरी सही नाम गयास मोहम्मद (Ghayas Mohd) आत्मज स्व. श्री मोहम्मद शफीक (Mohd Shafeequ) है. प्रकाशन उपरांत मुझे गयास मोहम्मद (Ghayas Mohd) पुत्र स्व. श्री मोहम्मद शफीक (Mohd Shafeequ) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(गयास सलमानी)
(GAYAS SALMANI)

नया नाम
(गयास मोहम्मद)
(Ghayas Mohd)
पुत्र—स्व. श्री मोहम्मद शफीक
(Mohd Shafeequ).

(G-2758)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजवेन्द्रसिंह यादव (Rajvendrasingh Yadav) पुत्र भारत सिंह, निवासी—24, ग्राम व पोस्ट नईगढ़िया, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गोपाल सिंह यादव (Gopal Singh Yadav) पुत्र श्री भारत सिंह यादव अंकित है. किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम राजवेन्द्रसिंह यादव (Rajvendrasingh Yadav) पुत्र भारत सिंह है, मैं, इसी नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे राजवेन्द्रसिंह यादव (Rajvendrasingh Yadav) पुत्र भारत सिंह (Bharat Singh) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(गोपाल सिंह यादव)
(Gopal Singh Yadav)

नया नाम
(राजवेन्द्रसिंह यादव)
(Rajvendrasingh Yadav)
पुत्र—भारत सिंह
(Bharat Singh).

(G-2759)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साक्षी बमोरया (Sakshi Bamorya) पत्नी श्री शशिन बमोरया (Shashin Bamorya), निवासी—ओ—205, शालिमार टावर, ए. व्ही. रोड, नियर पटेल मोटर्स, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम मोनिका जैन (MONIKA JAIN) पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जैन (Mahendra Kumar Jain) अंकित है. मेरा विवाह हो चुका है और विवाह पश्चात् मेरे दस्तावेजों के अनुसार मैं, श्रीमती साक्षी बमोरया (SAKSHI BAMORYA) पत्नी श्री शशिन बमोरया (Shashin Bamorya) के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती साक्षी बमोरया (SAKSHI BAMORYA) पत्नी श्री शशिन बमोरया (Shashin Bamorya) के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना समझा बोला जाये.

| | |
|--|--|
| पुराना नाम (मोनिका जैन) (MONIKA JAIN) पुत्री—श्री महेन्द्र कुमार जैन (Mahendra Kumar Jain) | नया नाम (साक्षी बमोरया) (SAKSHI BAMORYA) पत्नी—श्री शशिन बमोरया, (Shashin Bamorya) |
| (G-2760) | |

नाम परिवर्तन

मैं, रामकुवंर देवी नरवरिया (RAMKUWAR DEVI NARWARIA) पत्नी—श्री कृष्ण सिंह नरवरिया, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रामकुवंर एवं राजकुमारी (RAMKUWAR & RAJKUMARI) था. जो मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, रामकुवंर देवी नरवरिया पत्नी श्री कृष्ण सिंह नरवरिया के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे पी. पी. ओ. एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रामकुवंर एवं राजकुमारी और रामकुवंर देवी नरवरिया तीनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामकुवंर एवं राजकुमारी के स्थान पर मेरा नाम रामकुवंर देवी नरवरिया लिखा एवं पढ़ा जावे.

| | |
|--|--|
| पुराना नाम (रामकुवंर एवं राजकुमारी) | नया नाम (रामकुवंर देवी नरवरिया) पत्नी—श्री कृष्ण सिंह नरवरिया, पता—गोले का मंदिर शिव कॉलोनी, पिंटू पार्क, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.). |
| (G-2761) | |

नाम परिवर्तन

मैं, तान्वी सोनी (TANVI SONI) पुत्री सुरेश कुमार वर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मिस एका (MISS EKA) था. जो मेरी शासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, तान्वी सोनी पुत्री सुरेश कुमार वर्मा के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. तान्वी सोनी एवं मिस एका दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे शासकीय/अशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मिस एका के स्थान पर तान्वी सोनी लिखा एवं पढ़ा जावे.

| | |
|-------------------------|--|
| पुराना नाम (मिस एका) | नया नाम (तान्वी सोनी) पुत्री—सुरेश कुमार वर्मा, पता—नारंगी बाई मंदिर के पास, माधवगंज, ग्वालियर (म.प्र.). |
| (G-2762) | |

नाम परिवर्तन

मैं, अनुसुइया पटेल पत्नी श्री राजा राम पटेल, मेरा नाम मेरे पुत्र सत्यनारायण पटेल के सभी शासकीय / अद्वशासकीय शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में यशोदा बाई अंकित है. जो कि मेरा पूर्व का नाम था. वर्तमान में मैं, अनुसुइया पटेल के नाम से जानी जाती हूँ, यशोदा बाई और अनुसुइया पटेल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. याने कि मेरे प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनुसुइया पटेल पढ़ा—लिखा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

(यशोदा बाई)

(G-2763)

नया नाम

(अनुसुइया पटेल)

पता—181, सकरा विलेज,

अनूपपुर, (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "M/S SIGNATURE REALTY" A-1, LOTUS PARK, PURANI CHHAWANI, GWALIOR Vide Registration No. 02/42/01/0411/22, dated 17-3-2022 has been undergone for dissolution w.e.f 31-3-2024. All please be informed.

M/s. Signature Realty,
(KUSHAGRA WADHWA)
(Partner).

(G-2764)

नाम परिवर्तन

मैं, मिथलेश कुमार सिंह बागरी पिता भूकड़ सिंह बागरी, निवासी—गली नं. 08, आई. टी. आई. के पीछे, आकाश विहार, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सेवा—पुस्तिका / सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मिथलेश कुमार बागरी दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मिथलेश कुमार सिंह बागरी त्रुटिवश दर्ज हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरी सेवापुस्तिका में नाम मिथलेश कुमार बागरी लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मिथलेश कुमार सिंह बागरी)
पिता—भूकड़ सिंह बागरी,

(G-2765)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद अहसान खान पिता मोहम्मद साबिर खान, निवासी—गुरुनानक वार्ड, साहू कबाडी चौक, सिवनी, तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक एवं पासपोर्ट एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम अहसान खान पिता साबिर खान अंकित है, जिसे मैं, अब मोहम्मद अहसान खान पिता मोहम्मद साबिर खान MOHAMMAD AHSAN KHAN S/O MOHAMMAD SHABIR KHAN दर्ज करवाना चाहता हूँ अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद अहसान खान पिता मोहम्मद साबिर खान MOHAMMAD AHSAN KHAN S/O MOHAMMAD SHABIR KHAN के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अहसान खान)

(G-2766)

नया नाम
(मोहम्मद अहसान खान)
पिता—मोहम्मद साबिर खान,
MOHAMMAD AHSAN KHAN
S/O MOHAMMAD SHABIR KHAN.

नाम परिवर्तन

मैं, रामकेश (RAMKESH) पुत्र श्री जगन्नाथ सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रोविन सिंह (ROVIN SINGH) था। जो मेरे आधारकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रामकेश पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। रामकेश एवं रोविन सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रोविन सिंह के स्थान पर मेरा नाम रामकेश लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(रोविन सिंह)

(G-2767)

नया नाम
(रामकेश)
पुत्र—श्री जगन्नाथ,
पता—न्यू राम विहार कॉलोनी,
पिंटो पार्क, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बांकेबिहारी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पंजीयन क्रमांक 05-22-09-0031-22 पंजीयन दिनांक 3-6-2022, पता—ग्राम पोस्ट दुअरा, 275, तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.) पिन कोड 486338, कार्यालय फर्म्स एवं संरथाएं, रीवा, शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है। यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) वीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री, (2) नागेन्द्र सिंह गहर वॉर, (3) बल बीर सिंह पार्टनर थे। जिसमें दिनांक 26-06-2024 को (1) नागेन्द्र सिंह गहर वॉर पिता श्री राघवेन्द्र सिंह (2) बल बीर सिंह पिता श्री राज बहादुर सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये। निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 26-6-2024 को फर्म में नवीन पार्टनर 1. आदित्य पाण्डेय पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय आयु 35 वर्ष, निवासी—ग्राम बौलिहा पोस्ट—करौंदी, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है।

Shri Bankebihari Construction Company,
वीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री,
(भागीदारी).

(G-2768)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s AV INFRA जो 1002, 11th Floor Vijay Stambh, Zone, 1 M.P. Nagar, Bhopal (M.P.). में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 01-01-01-0452-22, दिनांक 21-2-2022 है। जिसमें दिनांक 15-2-2022 को श्री विनय रघुवंशी पुत्र श्री दीपचंद रघुवंशी, निवासी मकान नं. ए-16, साक्षी पैराडाईज, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 15-2-2022 को भागीदार श्री योगेश ठाकुर पुत्र श्री डी. सी. ठाकुर, निवासी—मकान नं. A-16, साक्षी पैराडाईज, मधुवन गार्डन के पीछे, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

M/s AV INFRA,
अनन्त रोहित,
(भागीदारी).

(G-2769)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम गुड़िया तिवारी पुत्री भोलेराम तिवारी मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम अंकित है। मेरा नाम प्रिया तिवारी है दोनों नाम मेरे हैं। अब मेरा नाम परिवर्तित होकर प्रिया तिवारी हो गया है। अब भविष्य में मुझे प्रिया तिवारी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम
(गुड़िया तिवारी)

(G-2770)

नया नाम
(प्रिया तिवारी)
निवासी—ग्राम घघरीखुर्द, पोस्ट बड़ेरा,
कटनी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश,
वर्तमान निवासी—भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन सिंह आत्मज श्री उदयभान सिंह, निवासी—ग्राम व पोस्ट मेहुती, जिला सतना (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम सचिन सिंह (SACHIN SINGH) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश राज सिंह हो गया है; अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम सचिन सिंह (SACHIN SINGH) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा।

पुराना नाम

(राज सिंह)

(RAJ SINGH)

(G-2771)

नया नाम

(सचिन सिंह)

(SACHIN SINGH)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र वर्मा आत्मज बापूलाल वर्मा, निवासी—ग्राम चितोड़िया लाखा, पोस्ट नापलाखेड़ी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम राजेन्द्र वर्मा (RAJENDRA VERMA) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश राजन हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम राजेन्द्र वर्मा (RAJENDRA VERMA) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा।

पुराना नाम

(राजन)

(RAJAN)

(G-2772)

नया नाम

(राजेन्द्र वर्मा)

(RAJENDRA VERMA)

नाम परिवर्तन

मैं, इंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी—ग्राम झिलेला, पोस्ट—फूडरा, जिला—सीहोर, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश आदित्यराज नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सुमित सेंधव (SUMIT SENDHAV) पुत्र इंद्र सिंह है. जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुमित सेंधव (SUMIT SENDHAV) पुत्र इंद्र सिंह के नाम से जाना—पहचाना व लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(आदित्यराज)

(G-2773)

नया नाम

(सुमित सेंधव)

(SUMIT SENDHAV)

पुत्र—इंद्र सिंह।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राहुल साहू (Rahul Sahu) पुत्र श्री दिनेश साहू (Dinesh Sahu), पता—वार्ड नं. 08, कसेरा मोहल्ला, बाड़ी, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम योगेश साहू (Yogesh Sahu) पुत्र श्री दिनेश साहू (Dinesh Sahu) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम राहुल साहू (Rahul Sahu) पुत्र श्री दिनेश साहू (Dinesh Sahu) है, मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे राहुल साहू (Rahul Sahu) पुत्र श्री दिनेश साहू (Dinesh Sahu) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(योगेश साहू)

(Yogesh Sahu)

(G-2774)

नया नाम

(राहुल साहू)

(Rahul Sahu)

पुत्र—श्री दिनेश साहू

(Dinesh Sahu).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आरिफ खान (Arif Khan) पुत्र श्री हविब खान मेरी पुत्री ज़िया खान (Ziya Khan) हैं। उसके आधार कार्ड में उसका नाम जन्नत (Jannat) पुत्री श्री कल्लू खान (Kallu Khan) अंकित है। जो कि सही नहीं है, मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम ज़िया खान (Ziya Khan) पुत्री श्री आरिफ खान (Arif Khan) है। वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को ज़िया खान (Ziya Khan) पुत्री श्री आरिफ खान (Arif Khan) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

आवेदक
(आरिफ खान)
(Arif Khan)
पता—ग्राम भीमपुरा, भहमपुरा,
मुस्करा, सीहोर (म.प्र.).

(G-2775)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यास्मीन बी (Yasmeen Bee) पत्नी—अजीज़ खान (Ajeez Khan), निवासी—वार्ड नं. 14, आदिवासी खड़ियापुरा, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम आसमा बी (Aashma Bi) अंकित है। इसके अतिरिक्त मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम भिन्न—भिन्न प्रकार से अंकित है। किंतु मेरे द्वारा अब अपना नाम परिवर्तित कर यास्मीन बी (Yasmeen Bee) पत्नी अजीज़ खान (Ajeez Khan) कर लिया है। अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती यास्मीन बी (Yasmeen Bee) पत्नी श्री अजीज़ खान (Ajeez Khan) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

| | |
|-------------|--|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (आसमा बी) | (यास्मीन बी) |
| (Aashma Bi) | (Yasmeen Bee) |
| | पत्नी—श्री अजीज़ खान, (Ajeez Khan). |

(G-2776)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी—11, ग्राम—धोबाखेड़ी, मेहगांव, सांची, रायसेन, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे नाम गायत्री दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम पिंकी (PINKI) पत्नी ओमप्रकाश है जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम पिंकी (PINKI) पत्नी ओमप्रकाश से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

| | |
|------------|-----------------|
| पुराना नाम | नया नाम |
| (गायत्री) | (पिंकी) |
| | (PINKI) |
| | पत्नी—ओमप्रकाश. |

(G-2777)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड सहित उसके ज्यादातर दस्तावेजों में उनका नाम शेखर चौहान लिखा हुआ था या है, किन्तु बीमा की कुछ पॉलिसियों में उनका नाम शेखर रजक लिखा हुआ है। अतः मेरे पति के सभी शासकीय व अशासकीय (पॉलिसी में) दस्तावेजों में उनका नाम शेखर चौहान ही लिखा व पढ़ा जावे एवं मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा देवी दर्ज है। जबकि मेरा सही नाम सीमा रजक है। भविष्य में मुझे सीमा देवी के स्थान पर सीमा रजक के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे।

पुराना नाम

(सीमा देवी)

पत्नी—स्व. श्री शेखर रजक

नया नाम

(सीमा रजक)

पत्नी—स्व. श्री शेखर चौहान,
पता—डी. आर. पी. लाइन, धोबी घाट,
घोसीपुरा, लक्ष्मणगढ़, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2778)

SURNAME CHANGE

I, Daizy Jaria hereby declare that, just some time before my name was Daizy Jaria Raikwar. But now I have removed my surname as Daizy Jaria Raikwar To Daizy Jaria. So from now and in future I shall be known as Daizy Jaria.

Old Name

(DAIZY JARIA RAIKWAR)

New Name

(DAIZY JARIA)

Address-R-12, Harihar Colony,
Behind Subhash Nagar,
Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

(G-2779)

SURNAME CHANGE

I, Moon Jain hereby declare that my maiden name was Moon Gupta D/o. Shankar Lal Gupta. But After my marriage, I have changed my surname as Moon Gupta to Moon Jain W/o. Bharat Kumar Jain. So from now and in future I shall be known as Moon Jain for all purposes.

Old Name

(MOON GUPTA/MOON GUPTA JAIN)

D/o. Shankar Lal Gupta.

New Name

(MOON JAIN)

W/o. Bharat Kumar Jain

Address-10, Gumasta Nagar, Pramila Hospital,
Sethi Gate Ke Samne, Indore (M.P.).

(G-2780)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Arun Kumar Awasthi but in some of my documents (share certificate) my name was written as Arun Awasthi. In which my middle name is missing Henceforth my name shall be read and written as Arun Kumar Awasthi for all purposes.

Old Name

(ARUN AWASTHI)

New Name

(ARUN KUMAR AWASTHI)

Address-Behind Delhi Public School,
02, Royal Bungalow, Nipania,
Indore (M.P.).

(G-2781)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र का नाम संदीप विश्वकर्मा है, जो कि उसके ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु आधार कार्ड सहित कुछ दस्तावेजों में उसका नाम व उपनाम युवराज सुतार लिखा हुआ है. अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड सहित अन्य समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसे उसके सही नाम व उपनाम संदीप विश्वकर्मा से ही लिखा व पढ़ा जाए.

प्रार्थी

(प्रेम नारायण)

पता—म. नं. 54, वार्ड नं. 4, सुतार मोहल्ला,

ग्राम—रिछी, तहसील—नलखेड़,

जिला—आगर मालवा (म.प्र.).

(G-2782)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare in behalf of my Daughter that, I have changed my Daughter's Name from Disha Baghel to Diksha Baghel. Henceforth in all of My Daughter's, school's documents and other Govt. and non Govt. documents my Daughter's new name will written and read as Diksha Baghel.

Applicant

(MAHENDRA SINGH BAGHEL)

(Father)

Address-Mayur Nagar, Mushakhedi,
Indore (M.P.).

(G-2783)

PUBLIC NOTICE

(Notice U/S. 72 of the Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s C J Investmart Registered office at 3rd Floor, 203-A Corporate House, 169 R.N.T. Marg, Indore (M.P.) 452001 and Registration No. is 03-27-01-0009-16, dated 22-4-2016 which was constituted vide Partnership deed executed on 20-10-2015. In this partnership firm subsequently following changes have occurred on 15-05-2024, Now these (1. Shri chaitanya Jaiswal, 2. Smt Jyoti Jaiswal and 3. Shri chhotelal Jaiswal) three running partners have decided that changed the former name and the principal place of firm From "C J Investmart To C J Venture" and 3rd Floor, 203-A Corporate House, 169, R.N.T. Marg, Indore (M.P.) 452001. To 502 Apollo Premier, Vijay Nagar Square, Indore (M.P.) 452001. w.e.f 15-15-2024.

M/s. C J Venture,

(CHAITANYA JAISWAL)

(Partner).

(G-2784)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरे पुत्र का नाम प्रांजल सोनी (PRANJAL SONI) पिता प्रमोद सोनी था. जो कि उसके पूर्व के जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड एवं अंकसूची पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर राघव सोनी (RAGHAV SONI) कर लिया है. जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर अंकित है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके परिवर्तित नाम राघव सोनी (RAGHAV SONI) पिता प्रमोद सोनी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

प्रार्थी

(प्रमोद सोनी)

पता—21, लाबरीयामेरु, धार रोड,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-2785)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम अंजन रघुवंशी (ANJAN RAGHUVANSHI) पिता नीरज सिंह रघुवंशी है. जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम अनुराज (ANURAJ) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंजन रघुवंशी (ANJAN RAGHUVANSHI) पिता नीरज सिंह रघुवंशी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

प्रार्थी
(नीरज सिंह रघुवंशी)
पता—पिपरिया खाती, बांसखेड़ा,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-2786)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम प्रितीबाला जैन (PRITIBALA JAIN) पिता श्री भंवरलाल जैन था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री हितेन्द्र पालविया से विवाह के उपरान्त मेरा नाम प्रिती पालविया (PRITI PALVIYA) पति श्री हितेन्द्र पालविया हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे प्रिती पालविया (PRITI PALVIYA) के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(प्रितीबाला जैन)
(PRITIBALA JAIN)

नया नाम
(प्रिती पालविया)
(PRITI PALVIYA)
पति—श्री हितेन्द्र पालविया,
पता—11/7, स्वप्नलोक कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2787)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सपना शिवनानी (SAPANA SHIVNANI) पिता श्री सर्वानन्द शिवनानी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, श्री धर्मेश चंदानी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम प्राची चंदानी (PRACHI CHANDANI) पति श्री धर्मेश चंदानी हो गया है, जो मेरे वोटर कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे प्राची (PRACHI CHANDANI) पति श्री धर्मेश चंदानी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(सपना शिवनानी)
(SAPANA SHIVNANI)

नया नाम
(प्राची चंदानी)
(PRACHI CHANDANI)
पति—श्री धर्मेश चंदानी,
पता—109, रेवन्यु नगर, सुदामा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2788)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हरीश खत्री पिता मान सिंह है किंतु त्रुटिवंश मेरे आधार कार्ड में सुमित पिता मान सिंह (SUMIT S/o MAN SINGH) हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम हरीश खत्री पिता मानसिंह (HARISH KHATRI S/o MANSINGH) है एवं मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मुझे हरीश खत्री पिता मानसिंह इसी नाम से जाना—पहचाना जाता है.

पुराना नाम

(सुमित)

(SUMITS)

नया नाम

(हरीश खत्री)

(HARISH KHATRI)

पिता—मान सिंह,

निवासी—भोई मोहल्ला, हातोद,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-2789)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम राजेश नेनोदिया पिता श्री सालम जी नेनोदिया है. मेरे सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश राजेश मालविया पिता श्री पालम मालविया हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम राजेश नेनोदिया पिता सालम जी नेनोदिया (RAJESH NENODIYA S/o SALAM JI NENODIYA) है. मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. मुझे राजेश नेनोदिया पिता सालम नेनोदिया के नाम से जाना—पहचाना जाता है.

पुराना नाम

(राजेश मालविया)

(RAJESH MALWIYA)

पिता—पालम मालविया

नया नाम

(राजेश नेनोदिया)

(RAJESH NENODIYA)

पिता—सालम जी नेनोदिया

(SALAM JI NENODIYA)

निवासी—69, खण्डवा रोड, असरावद खुर्द,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-2790)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कपिल सिंह कुशवाह (KAPIL SINGH KUSHWAH) पिता—रमण सिंह कुशवाह (RAMAN SINGH KUSHWAH), निवासी—मुकाम पोस्ट उमरिया, तहसील आमला, जिला बैतूल मध्यप्रदेश. मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कपिल (KAPIL) पिता रमण सिंह (RAMAN SINGH) है. जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में कपिल सिंह कुशवाह (KAPIL SINGH KUSHWAH) पिता रमण सिंह कुशवाह (RAMAN SINGH KUSHWAH) दर्ज है. जो कि सही एवं सत्य है व दोनों मेरे ही नाम हैं. मेरी समस्त शैक्षणिक मार्कशीट में मेरा संपूर्ण नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कपिल)

(KAPIL)

पिता—रमण सिंह

(RAMAN SINGH)

नया नाम

(कपिल सिंह कुशवाह)

(KAPIL SINGH KUSHWAH)

पिता—रमण सिंह कुशवाह

(RAMAN SINGH KUSHWAH)

(G-2791)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमण सिंह कुशवाह (Raman Singh Kushwah) पिता—विक्रम सिंह कुशवाह (Vikram Singh Kushwah), निवासी—मुकाम पोस्ट उमरिया, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कहीं पर रमण सिंह (Raman Singh) और कहीं पर रमण कुशवाह (Raman Kushwah) दर्ज हो गया है, जो कि दोनों मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे संपूर्ण नाम रमण सिंह कुशवाह (Raman Singh Kushwah) पिता विक्रम सिंह कुशवाह (Vikram Singh Kushwah) के नाम से जाना—पहचाना व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(रमण कुशवाह)

(Raman Kushwah)

(G-2792)

नया नाम

(रमण सिंह कुशवाह)

(Raman Singh Kushwah)

पिता—विक्रम सिंह कुशवाह

(Vikram Singh Kushwah).

नाम परिवर्तन

मैं, शेखर पुत्र महेश, निवासी—ग्राम मधवन, पोस्ट बनेटा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश चंद्र मोहन वंशकार नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम प्रताप वंशकार (PRATAP VANSHKAR) पुत्र शेखर है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम प्रताप वंशकार (PRATAP VANSHKAR) पुत्र शेखर के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

प्रार्थी

(शेखर).

(G-2793)

नाम परिवर्तन

मैं, अजीमा रहमान खान पुत्री श्री अब्दुल रहमान खान, पता—९वी, अंसल्य पेरामाउंट बिला, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.). यह कि पूर्व में मेरा नाम मेहविश रहमान खान (MEHWISH RAHMAN KHAN) था। जो बदलकर अजीमा रहमान खान (AZEEMA RAHMAN KHAN) हो गया है। अतः भविष्य में अब मुझे मेरे नये नाम अजीमा रहमान खान के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

प्रार्थी

(अजीम खान).

(G-2794)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वामिका ट्रेडर्स, पता—ह. नं. 1585, हाउबाघ, अहीर मोहल्ला गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है। जिसका पंजीयन क्र. 04/14/01/0007/24, दिनांक 4-4-2024, है, जिसमें दिनांक 4-4-2024 को भागीदार श्री रोहित जायसवाल पिता श्री प्रेमचंद जायसवाल और कामता प्रसाद पिता विद्यासागर प्रसाद भागीदार थे। इसके पश्चात् फर्म में धर्मन्द्र पटेल पिता श्री कामता प्रसाद पटेल भागीदार के रूप में दिनांक 23-8-2024 को विधिवत् रूप से सम्मिलित हुए। वर्तमान फर्म में अब दो से तीन भागीदार हो गये हैं।

मेसर्स वामिका ट्रेडर्स,

रोहित जायसवाल

(भागीदार)

पता—अहीर मोहल्ला, गोरखपुर,

जबलपुर (म.प्र.).

(G-2795)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम निलो था. जो कि अब बदलकर नीलोफर बी पति शेहजाद हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम

(निलो)

(NILO)

(G-2796)

नया नाम

(नीलोफर बी)

(NILOFAR BEE)

पता—ग्राम—दोलताबाद, मकान नं. 25,

पोस्ट—बेटमा, जिला इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s SHIVA INFRA पता— HOUSE No. 04, NEAR LIC BRANCH 02, KRISHNA NAGAR, RAGHURAJNAGAR, SATNA (M.P.). जिसका पंजीयन क्र. 05-26-01-0084-20, दि. 9-11-2020 में भारतीय भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है उक्त भागीदारी फर्म में भागीदार श्रीमती ममता तिवारी पत्नी श्री सज्जन सिंह व भागीदार श्री सज्जन सिंह तिवारी पिता बालभद्र सिंह दिनांक 1-12-2023 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं श्रीमती सोनल सिंह पति श्री विवेक सिंह व श्री श्रेयश तिवारी पिता श्री सज्जन सिंह तिवारी दिनांक 1-12-2023 फर्म में शामिल हो गए हैं।

For SHIVA INFRA

(अवनीश सिंह)

(भागीदार).

(G-2797)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "M/s Wind Group" Shop No. 2, 1st Floor Martand Complex, Pili Kothi, Rewa में पंजीकृत है. जिसमें भागीदार तौसीफ अहमद, सबीहा बानों, अशोक कुमार सिंह एवं मो. हसीब खान थे. उक्त फर्म से मो. हसीब खान आज दिनांक 1-4-2024 से पृथक् हो गये हैं. उक्त दिनांक से फर्म में नये भागीदार के रूप में तौसीफ अहमद 40 प्रतिशत, सबीहा बानों 20 प्रतिशत एवं अशोक कुमार सिंह 40 प्रतिशत के भागीदार नियत हुये हैं. समर्त प्रकार के कार्यों के लिये समिलित भागीदार आज दिनांक से उत्तदायी होंगे।

M/s Wind Group,

(तौसीफ अहमद)

(भागीदार)

पता—मार्टण्ड कॉम्प्लेक्स पीली कोठी,

रीवा (म.प्र.).

(G-2798)

नाम परिवर्तन

मैं, ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री रायसिंह सोलंकी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम त्रुटिवश मेरे पुराने दस्तावेज पेन कार्ड में ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री बादूसिंह सोलंकी था, जिसे बदलकर नया नाम ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री रायसिंह सोलंकी हो गया है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नए नाम ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री राय सिंह सोलंकी (DHAYAN SINGH SOLANKI S/o SHRI RAI SINGH SOLANKI) के नाम से जाना और पहचाना जाए।

भवदीय

(ध्यानसिंह सोलंकी)

आत्मज—श्री रायसिंह सोलंकी,

पता—8, अन्नपूर्णा नगर, सनावद रोड,

खरगोन, ईस्ट निमाड (म.प्र.).

(G-2799)

नाम परिवर्तन

मैं, शोभा बाई पत्नी महेंद्र सिंह, निवासी—वार्ड 22, पाटीदार कॉलोनी, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधारकार्ड में त्रुटिवश रमाबाई नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम शोभा बाई (SHOBHA BAI) पत्नी महेंद्र सिंह है. जो कि मेरे वोटर कार्ड में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम शोभा बाई (SHOBHA BAI) पत्नी महेंद्र सिंह के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रमाबाई)

नया नाम

(शोभा बाई)

(SHOBHA BAI)

पत्नी—महेंद्र सिंह.

(G-2800)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सोहन जोगी पिता बालकिशन जोगी, (Sohan Jogi S/o Balkishan Jogi) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे सोहन छावडी पिता बालकिशन छावडी (Sohan Chhawdi S/o Balkishan Chhawdi), निवासी—टोपाज, 116 पृथ्वी इन्क्लेव, सिल्वर स्प्रिंग टाउनशीप फेस-2, ए. बी. बाय पास रोड, मुंडला नायता, जिला इन्दौर (म.प्र.). के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी,

(सोहन छावडी)

(Sohan Chhawdi).

(G-2801)

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2024

“प्रारूप—अठारह”

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

क्र—226—मुकाअ.—का.यं.यो.—भोविप्रा—24.—एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक 214/BHO/2023 एयरोसिटी एक्सटेंशन (ग्राम बडवई, पलासी, लाम्बाखेड़ा, नवीबाग) तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप—नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल ,(इन्ड्रा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर जोन-1).
2. नगर तथा ग्राम निवेश (कार्यालय), जिला भोपाल तथा

विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर भी प्रकाशित है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा.

(G-2802)

प्रदीप जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

ब्यावरा, दिनांक 19 नवम्बर 2024

प्रारूप—क्र.—4

[देखिए नियम—5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम के नियम 5(1) के द्वारा]

क्र. 2739—प्रवाचक—2—2024.—यह कि श्री रामचन्द्र पिता हजारीलाल जाति साहू, निवासी—वार्ड क्रमांक 01, ओल्ड एबी रोड, अहिंसा द्वार के पास ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.) के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदक अनुसूचि में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है ऐतद्वारा सूचना—पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 6—1—2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधी के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

| | |
|--------------------|---|
| लोक न्यास का नाम : | माँ कर्मा देवी सकल तैलिक सनातन परमार्थ धार्मिक लोक न्यास (ट्रस्ट), पता—वार्ड नं. 01, बोल्ड एबी रोड, अहिंसा द्वार के पास ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.) पिन 465674. |
| चल सम्पत्ति : | 1000/- एक हजार रुपये। |
| अचल सम्पत्ति : | निरंक. |

गीतांजली शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी।

(G-2803)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट कटनी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

प्रारूप—चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.—0001—बी—113—2024—25 क्र.—395—आ.वि.अ.—2024.—चूंकि, आवेदक श्री गोपीदास विश्वकर्मा, जगदीश झा, केशवप्रसाद, धर्मेन्द्र विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, निवासी—बी.डी. अग्रवाल वार्ड, कटनी, तहसील व जिला कटनी द्वारा श्री विश्वकर्मा मंदिर ट्रस्ट कमेटी श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं संभागार भवन सिविल लाइन जौहर गली रानी लक्ष्मीबाई वार्ड कटनी द्वारा मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है कि संबंध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह

अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समक्ष में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|----------------------|---|--|
| पब्लिक ट्रस्ट का नाम | : | श्री विश्वकर्मा मंदिर ट्रस्ट कमेटी |
| पता | : | श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं सभागार भवन सिविल लाइन जौहर गली, रानी लक्ष्मीबाई, वार्ड कटनी, जिला कटनी (म.प्र.). |
| चल सम्पत्ति | : | संलग्न अनुसूची 3 |
| अचल सम्पत्ति | : | संलग्न अनुसूची 4 |
| सदस्यगणों के नाम | : | 1. गोपी विश्वकर्मा पिता स्व. श्री जमुना प्रसाद विश्वकर्मा, 2. जगदीश झा पिता श्री जगन्नाथ झा 3. केशव प्रसाद विश्वकर्मा पिता स्व. श्री लक्ष्मीप्रसाद विश्वकर्मा 4. धर्मेन्द्र विश्वकर्मा पिता स्व. श्री मंगल प्रसाद विश्वकर्मा 5. राकेश विश्वकर्मा पिता स्व. श्री के. एल. विश्वकर्मा |

न्यास की आय के स्रोत न्यासीगण का अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां औसत कुल वार्षिक आय—1,50,000/-

आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-2804)

प्रदीप मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बासौदा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

बासौदा, दिनांक 7 नवम्बर 2024

प्रारूप—चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 उपधारा 2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

प्र.-क्र.-0002-बी-113-2024-25.—यतः कि श्री अशोक कुमार जैन पुत्र बिहारीलाल जैन, निवासी वार्ड नंबर-11, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना— पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 6-12-2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

अतः, मैं, विजय राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, जिला विदिशा का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 6-12-2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तुपित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

| | |
|---------------------------------|---|
| लोक न्यास का नाम व पता | : "श्री 1008 पाश्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति स्टेशन मंडी ट्रस्ट" भगवान महावीर विहार, महावीर मार्ग, मिलरोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा. |
| लोक न्यास की संपत्ति का विवरण : | ट्रस्ट के पास 1000 वर्गफिट के 03 प्लॉट, 01 प्लॉट 3200 वर्गफिट का, 01 प्लॉट 2500 वर्गफिट का तथा ग्राम वेहलोट स्थित सर्वे नंबर 497 / 3 रक्षा 0.073, सर्वे नंबर 570 / 2 रक्षा, 0.136 है. कुल रक्षा 0.209 है. |

(G-2805)

विजय राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएँ

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-क्यू-1.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजलपुर, इन्दौर | 2310 / 21-1-2007 | 1865 / 31-3-2023 |
| 2. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरनिया, इन्दौर | 2385 / 8-10-2008 | 1866 / 31-3-2023 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-2806)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-क्यू-1.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन | परिसमापन का आदेश |
|------|---|------------------|------------------|
| | | क्रमांक व दिनांक | क्रमांक व दिनांक |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजलपुर, इन्दौर | 2310 / 21-1-2007 | 1865 / 31-3-2023 |
| 2. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरनिया, इन्दौर | 2385 / 8-10-2008 | 1866 / 31-3-2023 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2807)

सुरेश भंडारी, परिसमापक एवं सब—ऑफिटर।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—क्यू—1.—कार्यालय, उप—पंजीयक, सहाकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन | परिसमापन का आदेश |
|------|--|------------------|------------------|
| | | क्रमांक व दिनांक | क्रमांक व दिनांक |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., खूडेलबुजुर्ग, इन्दौर | 559 / 20-5-1992 | 1843 / 3-6-2024 |
| 2. | बुनकर सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर, इन्दौर | 147 / 16-1-1962 | 1846 / 3-6-2024 |
| 3. | महिला उद्धार गृह बुरकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 45 / 18-5-1958 | 1845 / 3-6-2024 |
| 4. | शंकर तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाबरियाभेरु, इन्दौर। | 108 / 26-1-1960 | 1793 / 3-6-2024 |
| 5. | मॉ दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., सुलाखेड़ी, मांगलिया। | 554 / 28-10-1995 | 1792 / 3-6-2024 |
| 6. | महाराणा प्रताप पावरलूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर। | 2334 / 25-6-2007 | 1790 / 3-6-2024 |
| 7. | अशोक हथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर | 263 / 17-8-1964 | 1788 / 3-6-2024 |
| 8. | आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर | 102 / 27-3-1953 | 1786 / 3-6-2024 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन

के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वैचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वेच्छा मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2808)

सविता भायरे, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2024—क्यू—1.—कार्यालय, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | समिति का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरानाखेड़ी, इन्दौर | 788 / 29-9-1984 | 1788 / 31-3-2023 |
| 2. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजेपुर, इन्दौर | 2802 / 11-1-2007 | 1793 / 31-3-2023 |
| 3. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाईग्राम, इन्दौर | 926 / 19-9-1990 | 1794 / 31-3-2023 |
| 4. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिचोली, इन्दौर | 613 / 13-1-1982 | 1790 / 31-3-2023 |
| 5. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खत्रीखेड़ी, इन्दौर | 792 / 29-9-1984 | 1789 / 31-3-2023 |
| 6. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदियाखान, इन्दौर। | 787 / 23-7-2001 | 1784 / 31-3-2023 |
| 7. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रावतीगंज, इन्दौर। | 655 / 30-7-1982 | 1783 / 31-3-2023 |
| 8. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डेल, इन्दौर | 618 / 18-12-1981 | 1787 / 31-3-2023 |
| 9. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चैनपुरा, इन्दौर | 2753 / | 1780 / 31-3-2023 |
| 10. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नौगाव, इन्दौर | 2746 / 22-10-2014 | 1782 / 31-3-2023 |
| 11. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंगाजलखेड़ी, इन्दौर। | 2580 / 26-3-2013 | 1795 / 31-3-2023 |
| 12. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरसी, इन्दौर | 2572 / 26-2-2013 | 1791 / 31-3-2023 |
| 13. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खतडिया, इन्दौर | 2442 / 10-11-2007 | 1786 / 31-3-2023 |
| 14. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीसाखेड़ी, इन्दौर | 2479 / 2-2-2011 | 1792 / 31-3-2023 |
| 15. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमगोदा, इन्दौर | 2412 / 2-7-2009 | 1781 / 31-3-2023 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंसेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2809)

अमित दुबे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक

इन्दौर, दिनांक 18 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-क्यू.-कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. (1) | समिति का नाम (2) | पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3) | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक (4) |
|-------------|--|-----------------------------------|---|
| 1. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरलाई | | 1818 / 3-6-2024 |
| 2. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोकलपुर | 673 / 11-10-1982 | 1815 / 3-6-2024 |
| 3. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमठा | 680 / 14-10-1982 | 1814 / 3-6-2024 |
| 4. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरियापाल | 590 / 8-11-1981 | 1813 / 3-6-2024 |
| 5. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कम्पेल | 607 / 21-10-1980 | 1812 / 3-6-2024 |
| 6. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डकाच्चा | 2660 / 10-1-1980 | 1811 / 3-6-2024 |
| 7. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाकुन | 765 / 8-7-1984 | 2128 / 14-6-2024 |
| 8. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बछोडा | 685 / 14-7-1982 | 2127 / 14-6-2024 |
| 9. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सगदौद | 667 / 14-1-1982 | 2126 / 14-6-2024 |
| 10. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरसोला | 604 / 24-4-1981 | 2125 / 14-6-2024 |
| 11. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिवडाय | 603 / 5-5-1981 | 2124 / 14-6-2024 |
| 12. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिल्लौरखुर्द | 605 / 24-10-1981 | 2123 / 14-6-2024 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57(1) (सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ

का बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 18 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2810)

राजेश्वरी चौहान, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-क्यू-1.-कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्डौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. (1) | समिति का नाम (2) | पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3) | परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक (4) |
|-------------|---|-----------------------------------|---|
| 1. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चोराडिया, इन्डौर। | 562 / 19-1-1984 | 1892 / 31-3-2023 |
| 2. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुर्दाखुर्दी, इन्डौर | 2851 / 3-9-2016 | 1896 / 31-3-2023 |
| 3. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोथला, इन्डौर | 2579 / 26-2-2013 | 1890 / 31-3-2023 |
| 4. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मतलबपुरा, इन्डौर | 2561 / 7-12-2012 | 1893 / 31-3-2023 |
| 5. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करकी, इन्डौर | 2426 / 3-11-2009 | 1897 / 31-3-2023 |
| 6. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिर्जापुर, इन्डौर | 2375 / 3-5-2008 | 1889 / 31-3-2023 |
| 7. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कदवालीखुर्द, इन्डौर। | 2286 / 22-12-2006 | 1894 / 31-3-2023 |
| 8. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगरखेड़ी, इन्डौर। | 2180 / 26-7-2007 | 1895 / 31-3-2023 |
| 9. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेरखेड़ी सावेर, इन्डौर। | 2916 / 24-4-2018 | 1898 / 31-3-2023 |
| 10. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलारिया, इन्डौर | 2842 / 3-9-2016 | 1891 / 31-3-2023 |

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2811)

निकिता यादव, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला झावुआ, मध्यप्रदेश

झावुआ, दिनांक 26 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-538.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झावुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापक में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक / दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक / दिनांक |
|------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाराडाबर | 713 / 6-11-1999 | 288 / 1-4-2021 |
| 2. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलखूटा | 1004 / 30-8-2006 | 288 / 1-4-2021 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 26 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2812)

तोलाराम मुनिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-537.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झावुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापक में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक / दिनांक | परिसमापन का आदेश क्रमांक / दिनांक |
|------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, कल्याणपुरा | 467 / 4-8-1980 | 567 / 2-12-2013 |
| 2. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, वडलीपाडा | 930 / 26-8-1996 | 213-42 / 18-3-2014 |
| 3. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, भगोर | 463 / 4-6-1980 | 213 / 18-3-2014 |
| 4. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पंथबोराली | 608 / 4-8-1991 | 269 / 28-3-2012 |
| 5. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, रतम्भा | 916 / 29-12-1995 | 213-35 / 18-3-2014 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 6. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, आम्बापाडा | 1032 / 18-11-2008 | 213-8 / 18-3-2014 |
| 7. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, डाबडी | 562 / 25-6-1988 | 567 / 2-12-2013 |
| 8. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोदडिया | 07 / 29-6-1992 | 279 / 28-3-2012 |
| 9. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नौगावा | 715 / 6-11-1992 | 270 / 3-7-2015 |
| 10. | दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आम्बा . | 1032 / 18-11-2008 | 281 / 28-3-2012 |
| 11. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, नानियासाथ | 890 / 4-4-1995 | 567 / 2-12-2013 |
| 12. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, रसोडी | 839 / 19-4-1994 | 567 / 2-12-2013 |
| 13. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, कल्लीपुरा | 1029 / 6-10-2008 | 567 / 2-12-2013 |
| 14. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, कम्पान | 933 / 29-3-1997 | 567 / 2-12-2013 |
| 15. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, सूतरेटी | 910 / 27-12-1995 | 275 / 28-3-2012 |
| 16. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, खण्डीया खाल | 1027 / 30-6-2008 | 276 / 28-3-2012 |
| 17. | दुर्घ उत्पादक सहकारी मर्यादित, झुमका | 1045 / 22-9-2009 | 1045 / 22-9-2009 |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेज को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 26 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2813)

एम. एम. श्रीवास्तव, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक,

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 29, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएँ

(कुछ नहीं)